Order Sheet [Contd] _______ ase No 304/2017 बी.ए

प्राचिवकता । राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर । पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड से अप०क० 91/17 धारा 457, 380 भा.द. वि. की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत । आवेदक / अभियुक्त की ओर से श्री तेजपाल तोमर अधिवक्ता द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० पेश कर निवेदन किया कि आवेदक द्वारा कोई अपराध नहीं किया है उसके विरुद्ध झूटी रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर उसे दिनांक 18.08.2017 को गिरफ्तार कर लिया है । आवेदक कृषि पेशा व्यक्ति होकर अपने घर में कमाने वाला एक मात्र सदस्य है, यदि अधिक समय तक निरोध में रखा गया तो उसके परिवार के समक्ष भरणपोषण की समस्या उत्पन्न हो जावेगी । आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा । अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है ।		Case No 304,	/ 2017 91.S
अधिवक्ता। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड से अप०क० 91/17 धारा 457, 380 भा.द. वि. की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत। आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री तेजपाल तोमर अधिवक्ता द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० पेश कर निवेदन किया कि आवेदक द्वारा कोई अपराध नहीं किया है उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर उसे दिनांक 18.08.2017 को गिरफ्तार कर लिया है। आवेदक कृषि पेशा व्यक्ति होकर अपने घर में कमाने वाला एक मात्र सदस्य है, यदि अधिक समय तक निरोध में रखा गया तो उसके परिवार के समक्ष भरणपोषण की समस्या उत्पन्न हो जावेगी। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है।	Order or	Order or proceeding with Signature of presiding	Parties or Pleaders
करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अल्यधिक वल दिया है कि कम्पनी बगैर लेबर का पेमेंट किए गायब हो गई है और लेबर अविदक से पेमेंट मांग रही है और इसी दबाव में यह असत्य प्रकरण दर्ज किया गया है। साथ ही इन तर्कों पर भी अत्यधिक वल दिया है कि जो ऐंगल ज़प्त किया जाना दर्शाया गया है वह आवेदक/अभियुक्त के स्वामित्व के स्थान से ज़प्त किया गया है ऐसा अभियोजन का मामला नहीं है। प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त के स्वामित्व के स्थान से ज़प्त किया गया है ऐसा अभियोजन का मामला नहीं है। प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त की आवश्यकता नहीं दर्शाई गई है। ओवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व का आपराधिक रिकार्ड रहा हो प्रतिवेदन में उल्लेखित नहीं है। आरोपित अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ह्वारा विचारणीय है। प्रकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः किये गए तर्क, प्रकरण की परिस्थितियों को देखने हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौठ स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त की ओर से संबंधित विचारण मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य 30,000/— (तीस हजार रूपए) रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का व्यक्तिगत बंधपत्र निम्न शर्तों के अधीन पेश हो तो उसे प्रतिभूति पर मुक्त कर दिया जावे।		अधिवक्ता। राज्य की ओर से अपर लोक अमियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड से अप०क० 91/17 धारा 457, 380 भा.द. वि. की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत। अवेदक /अमियुक्त की ओर से श्री तेजपाल तोमर अधिवक्ता द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फो० पेश कर निवेदन किया कि अवेदक द्वारा कोई अपराध नहीं किया है उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर उसे दिनांक 18.08.2017 को गिरफ्तार कर लिया है। आवेदक कृषि पेशा व्यक्ति होकर अपने घर में कमाने वाला एक मात्र सदस्य है, यदि अधिक समय तक निरोध में रखा गया तो उसके परिवार के समक्ष भरणापेषण की समस्या उत्पन्न हो जावेगी। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने को निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अमियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। आवेदक /अमियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि कम्पनी बगैर लेबर का पेमेंट किए गायब हो गई है और लेबर आवेदक से पेमेंट मांग रही है और इसी दबाव में यह असत्य प्रकरण दर्ज किया गया है। साथ ही इन तर्कों पर भी अत्यधिक वल दिया है कि जो ऐंगल जम्द किया गया है। साथ ही इन तर्कों पर भी अत्यधिक वल दिया है कि जो ऐंगल जम्द किया गया है। अकरण में आवेदक /अमियुक्त के स्वामित्व के स्थान से जात किया गया है। प्रकरण में आवेदक /अमियुक्त कर स्वामित्व के स्थान से जात किया गया है। का आरोप है। प्रकरण में चोरी का ऐंगल जम्द किया जा चुका है। शेष अनुसंधान के लिए आवेदक /अमियुक्त की आवश्यकता नहीं दशाई गई है। आवेदक /अमियुक्त का कोई पूर्व का आपराधिक रिकार्ड रहा झे प्रतिवन्त में उत्लेखित नहीं है। आरोपित अपराध न्यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। प्रकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः किये गए तर्क, प्रकरण की परिरिश्वियों को देखते हुस अवेदक /अमियुक्त की ओर से संबंधित विचारण मिजस्ट्रेट की संतुंध्य योग्य अवेतन की ओर से संबंधित विचारण मिजस्ट्रेट की संतुंध्य योग्य 30,000/— (तीस हजार रूप्य) रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वर्य का व्यवित का व्यवित्व ते धपर निम्म शर्तों के अधीन पेश हो तो तरे से स्वर्य	A THE STATE OF THE

शर्ते-

- 1. आवेदक / अभियुक्त प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
- 2. साक्ष्य को प्रभावित प्रलोभित नहीं करेगा।
- 3. जैसा अपराध किया है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगा। आदेश की प्रति संबंधित जेoएमoएफoसीo न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भिण्ड में जमा किया जावे।

> (वीरेन्द्र सिंह राजपूत) ए.एस.जे. गोहद

प्रतिलिपि-

- 1. पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड की ओर आदेश की प्रति सूचनार्थ मय कैस डायरी के प्रेषित।
- 2. 📗 श्री ए.के. गुप्ता, जे.एम.एफ.सी गोहद की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) All House Parents I Parent ए.एस.जे. गोहद